बाल अधिकार और बाल संरक्षण

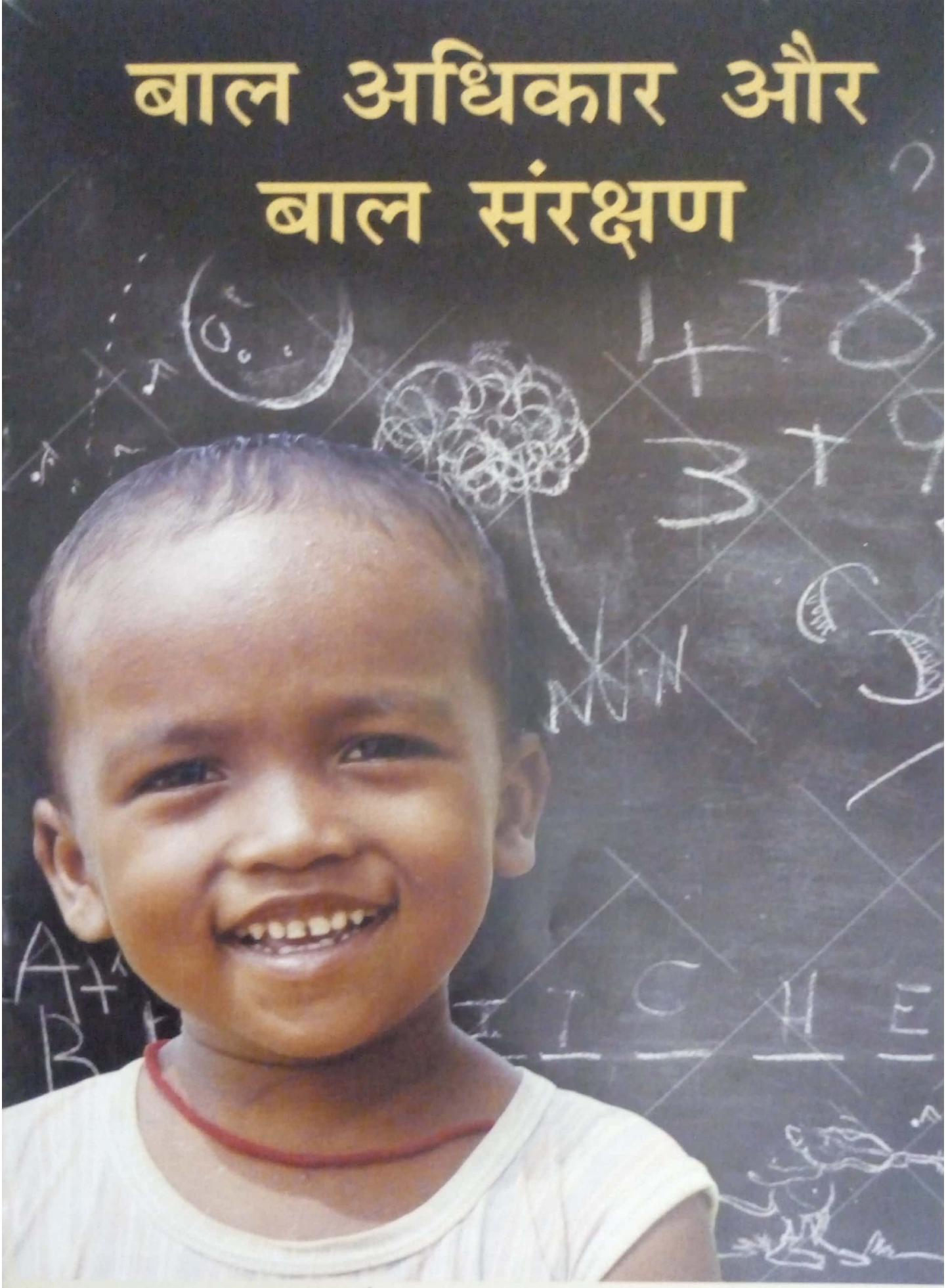

संवाद

E-mail : sarjomsamvad@gmail.com
Website : www.samvad.net

Scanned by CamScanner

बाल अधिकार और बाल संरक्षण

प्रत्येक समाज में बच्चे दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण का सामना करते हैं। अपने आसपास में यदि देखें तो आप पायेंगे कि छोटे बच्चे जिनको उस उम्र में स्कूल में होना चाहिए था, मजदूरी कर रहे हैं। बंधुआ मजदूरी में फंसे माता–पिता अपने बच्चों की निर्मम पिटाई करते हैं। बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं। कक्षा में उनकी पिटाई होती है या फिर जाति, धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हद तो यह है कि बच्चियों को जन्म लेने से ही रोक दिया जाता है। बहुधा उनकी या तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है या जन्म के बाद मार दिया जाता है। यदि वे बच जाती हैं तो पालन–पोषण के क्रम में उनसे परिवार, समाज में भेदभाव बरता जाता है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को बाल–विवाह, बलात्कार और तिरस्कार का भी सामना करना पड़ सकता है।

बच्चे कौन हैं?

अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार बच्चा का अर्थ है – वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इस परिभाषा को बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ संयोजन (यूएनसीआरसी, अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्था) में स्वीकार किया गया है और जिसे दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा मान्यता दी गई है। हमारे देश में भी यह मान्य है।

मुख्य बिन्दु

- 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चे हैं।
- बाल्यावस्था एक अवस्था है जिससे होकर प्रत्येक मानव को गुजरना होता है।
- बाल्यावस्था में अलग–अलग बच्चों के अनुभव अलग–अलग होते हैं।
- सभी बच्चों को अपमान और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

बच्चों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता क्यों है?

- बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उस के प्रति वयस्कों की अपेक्षा

Scanned by CamScanner

अधिक संवेदनशील होते हैं। इसी कारण किसी निर्णय या अनिर्णय से वे अन्य आयु समूह की अपेक्षा अधिक प्रभावित होते हैं।

- प्रायः सभी समाजों में बच्चे को माता–पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है।
- बच्चे वयस्कों के समान नहीं होते जिनके पास विकसित दिमाग, व्यक्त करने को विचार, पसंद चुनने का विकल्प और निर्णय व निर्माण की क्षमता होती है।
- वयस्क व्यक्ति बच्चे का मार्गदर्शन करने के बजाय उसके जीवन का निर्णय करते हैं।
- बच्चों के पास न तो मतदान का अधिकार होता है और न वे राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। आर्थिक शक्ति तो बिल्कुल नहीं होती। इसी कारण उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है।

बाल अधिकार क्या है?

हमारे देश में निर्मित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने जिन कानूनों को भारत में स्वीकार किया गया है, उन कानूनों के अंतर्गत निर्धारित मानकों व अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार बच्चों को है अर्थात् जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है।

बच्चों के ये अधिकार नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े हैं। निम्नलिखित चार अधिकारों के समूह में उपरोक्त सभी अधिकार समाहित हैं :–

- जीने का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- विकास का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार

जीने के अधिकार में सम्मिलित हैं–

- जीवन का अधिकार
- उपयुक्त स्वास्थ्य, पोषण व विशेष देखभाल प्राप्ति का अधिकार
- स्वस्थ पर्यावरण एवं स्वस्थ सामाजिक वातावरण में जीने का अधिकार

Scanned by CamScanner

- जाति, धर्म, लिंग, रीति–रिवाजों की मान्यताओं से ऊपर उठकर समुचित जीवन का अधिकार
- नाम और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार

विकास के अधिकार में सम्मिलित हैं-

- शिक्षा का अधिकार
- प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और विकास हेतु सहायता प्राप्त करने का अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- अवकाश, मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अधिकार

सुरक्षा के अधिकार में सभी प्रकार की स्वतंत्रता सम्मिलित हैं-

- शोषण से सुरक्षा का अधिकार
- अपमान व दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार
- अनैतिक श्रम व जोखिमपूर्ण कार्यों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार
- विकलांगता की स्थिति में बच्चों को विशेष सुरक्षा व पुनर्वास प्राप्त करने का अधिकार
- बाल अपराध के दौरान पूर्ण कानूनी संरक्षण के साथ न्यायिक जांच कराने का अधिकार

सहभागिता के अधिकार में सम्मिलित हैं-

- बच्चे–बच्चियों को बाल मुद्दों से जुड़े विषयों पर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अधिकार
- बच्चे की आयु तथा परिपक्वता के अनुरूप उसके विचारों का पर्याप्त महत्व
- उपयुक्त सूचना प्राप्त करने का अधिकार
- विचार, चेतना एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

उपरोक्त सभी अधिकार एक–दूसरे पर निर्भर और अविभाजित हैं

Scanned by CamScanner

लेकिन इनकी प्रकृति के आधार पर इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है – त्वरित अधिकार एवं प्रगतिशील अधिकार।

त्वरित अधिकार (नागरिक व राजनैतिक अधिकार) – इसके अंतर्गत भेदभाव, दण्ड, आपराधिक मामलों में पारदर्शी व सत्यतापूर्ण सुनवाई का अधिकार, बच्चों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, परिवार के साथ पुनर्मिलन का अधिकार आदि आते हैं। इनमें से अधिसंख्य सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस कारण इन अधिकारों पर तत्काल ध्यान दिये जाने और हस्तक्षेप की आवश्यकता की मांग की जाती है। इसीलिए इनको त्वरित अधिकार की श्रेणी में रखा गया है।

प्रगतिशील अधिकार (आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार) – इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और वे अधिकार हैं जिनको प्रथम श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनको 'कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड' के अंतर्गत अनुच्छेद– 4 में मान्यता दी गयी है, जिसके अनुसार – आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में जहां आवश्यक हो, सरकार के विभिन्न अंग, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता के ढांचे के दायरे में उपलब्ध संसाधनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

भारतीय संविधान में वर्णित बच्चों के अधिकार

भारतीय संविधान में बच्चों के निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित किये गये हैं –

- 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिमवाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद– 24)
- आर्थिक जरूरतों के कारण बच्चों को जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु और क्षमता के लिए उपयुक्त न हों, उससे सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद– 39 ई)

Scanned by CamScanner

- समान अवसर व सुविधा का अधिकार जो उन्हें स्वंतत्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे और उनका स्वस्थ रूप से विकास हो सके। साथ ही, नैतिक एवं भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद – 39 एफ)

इसके अतिरिक्त बच्चों को भारत के वयस्क महिला एवं पुरुष के समान बराबर का नागरिक अधिकार भी प्राप्त है, जैसे–

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद– 14)
- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद– 15)
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार (अनुच्छेद– 21)
- जबरन बंधुआ मजदूर बनाये जाने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद– 23)
- सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद– 46)

बाल अधिकार के तहत बाल-संरक्षण

बाल संरक्षण क्या है?

बाल संरक्षण, बाल अधिकार का ही एक अंग है। बाल संरक्षण पर अनेक परिभाषाएं प्रचलित हैं जिनका अर्थ लगभग समान है। बाल संरक्षण में बच्चे के घर अथवा उसके परिवार के सदस्यों/समुदाय/सरकार की सीमा के बाहर, बच्चों के प्रति क्रूरता, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, परित्याग अथवा शोषण इत्यादि से संरक्षण के अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

बाल संरक्षण का अर्थ बच्चों को प्रभावित करनेवाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण तथा हिंसा के प्रति प्रतिक्रिया देने तथा बचाव हेतु एक साधन है।

'युनिसेफ' की बाल संरक्षण रणनीति के अनुसार बाल संरक्षण "... एक संरक्षित वातावरण है जहां लड़कियां तथा लड़के हिंसा, शोषण, तथा परिवार के अनावश्यक अलगाव से मुक्त होते हैं तथा जहां कानून, सेवाएं, व्यवहार तथा बाल संवेदनशीलता को कम करनेवाले कारकों, जोखिमयुक्त

Scanned by CamScanner

कारकों पर ध्यान देकर बच्चों की कमजोरी को समझ कर उन्हें सशक्त बनाया जाता है।"

बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार में क्या अंतर है?

बाल संरक्षण, बाल अधिकार का एक अंग है। कानून, नीतियों, योजनाओं तथा संस्थागत व्यवस्था का संरक्षण, प्रतिक्रिया देने तथा बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा शोषण से बचाव इसमें समाहित हैं। यह एक विशेष प्रकार का बाल अधिकार क्षेत्र है। दूसरी ओर, बाल अधिकार संरक्षण का अर्थ बच्चों के सभी अधिकारों (शिक्षा, स्वास्थ्य, विश्राम, सहभागिता, जीवित रहने, संरक्षण इत्यादि) का संरक्षण है। बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार संरक्षण में अभिन्न संबंध है लेकिन कार्यक्षेत्र एवं दृष्टिकोण से ये एक–दूसरे से भिन्न हैं।

बाल संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून

- कारखाना अधिनियम, 1948
- अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- बाल श्रम (रोकथाम एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 2004
- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2005
- घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005
- बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006
- बालकों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम, 2012

बाल संरक्षण से संबंधित प्रमुख नीतियां

- राष्ट्रीय बाल नीति, 2013
- बाल विवाह रोक थाम हेतु राष्ट्रीय रणनीति अभिलेख, 2013

Scanned by CamScanner

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005
- बच्चों पर राष्ट्रीय राजपत्र, 2003
- बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, 1987

बाल संरक्षण से संबंधित प्रमुख योजनाएं

- समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम
- चाइल्ड लाइन (1098) – संकट में पड़े बच्चों के लिए 24 घंटे उपलब्ध सेवा
- उज्ज्वला : तस्करी की रोकथाम तथा बचाव, पुनरूद्धार तथा व्यावसायिक यौन शोषण हेतु तस्करी से पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ाव हेतु योजना।
- एचआइवी/एड्स से पीड़ित बच्चों की सहायता एवं देखभाल करनेवाली संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों को सहयोग प्रदान करने की योजना।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।

बच्चों के संरक्षित वातावरण निर्माण हेतु मुख्य आवश्यकताएं

- सरकार की प्रतिबद्धता और क्षमता को सशक्त करना
- पर्याप्त कानून तथा उनका पालन
- हानिकारक व्यवहार, रीति–रिवाजों तथा प्रथाओं पर ध्यान देना
- बाल संरक्षण मुद्दों पर मीडिया तथा लोक समुदाय को चर्चा के लिए प्रेरित करना
- बच्चों के जीवन कौशल, ज्ञान तथा सहभागिता का विकास करना
- परिवार तथा समुदाय का क्षमता निर्माण करना
- बचाव, पुनरूत्थान तथा पुनरूद्धार हेतु आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना
- प्रभावकारी अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकसित करना
- बाल संरक्षण को अकेले विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता है बल्कि इसके लिए बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें सरकार, बहुपक्षीय एजेंसियां, दाता, समुदाय, देखरेख करनेवाले, परिवार तथा सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को सम्मिलित करना है।

Scanned by CamScanner

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

Protection of children from sexual offence (POSCO)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बच्चों के प्रति यौन दुर्व्यवहार को गंभीर मानते हुए इसके लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान करने के उद्देश्य से विशेष कानून बनाया है जिसे "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012" कहा जाता है जो बच्चों को यौन दुर्व्यवहार तथा यौन शोषण से बचाने में मदद करता है। इस अधिनियम में बच्चों के साथ किये जानेवाले पांच प्रकार के यौन अपराधों में दण्ड का प्रावधान किया गया है – प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरूत्तर प्रवेशन, लैंगिक हमला, गुरूत्तर लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न तथा अश्लील साहित्य निर्माण में बच्चों का व्यवहार। उपरोक्त अपराधों में आर्थिक दण्ड के साथ साधारण कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।

यह सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र के सभी बच्चों को निम्न शोषण से सुरक्षा प्राप्त हो–

- शोषण
- अपमान
- अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार
- उपेक्षा

सामाजिक, आर्थिक यहां तक कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी सभी बच्चों को सुरक्षा की जरूरत होती है। उनमें से कुछ बच्चों की स्थिति कुछ अधिक संवेदनशील होती है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार के बच्चे हैं–

- बेघर बच्चे (सड़क किनारे रहनेवाले, विस्थापित/घर से निकाले गए, शरणार्थी आदि)
- दूसरी जगह से आये बच्चे
- गली या घर से भागे हुए बच्चे
- अनाथ या परित्यक्त बच्चे
- काम करनेवाले बच्चे

Scanned by CamScanner

- भीख मांगनेवाले बच्चे
- वेश्याओं के बच्चे
- बाल वेश्या
- भगाकर लाये गये बच्चे
- जेल में बंद बच्चे
- कैदियों के बच्चे
- संघर्ष से प्रभावित बच्चे
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चे
- एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे
- असाध्य रोगों से ग्रसित बच्चे
- विकलांग बच्चे
- अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे

बाल अधिकार व बाल संरक्षण को लागू करने में शिक्षक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि...

- शिक्षक बाल समुदाय और परिवार के प्रमुख अंग हैं। इस प्रकार वे उनके अधिकारों को बढ़ावा देने एवं उन्हें सुरक्षा देने के प्रति जिम्मेदार हैं।
- शिक्षक बच्चों के रोल मॉडल या आदर्श होते हैं।
- शिक्षक होने के नाते शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी है कि वे युवा छात्र–छात्राओं की उन्नति, विकास, भलाई और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी हों।
- शिक्षक होने के नाते यह जिम्मेदारी शिक्षकों में स्वतः निहित है।
- शिक्षक जो स्कूलों में केवल पाठ्यक्रम पूरा करते और बेहतर परिणाम लाते हैं उससे अधिक भूमिका निभा सकते हैं और सामाजिक बदलाव लानेवाले कारक बन सकते हैं।

बाल सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित बातें जो शिक्षकों को जाननी चाहिए

बाल दुर्व्यवहार मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय समूहों में घटित होता है। संबंधित अनुसंधान, प्रलेखन व सरकारी हस्तक्षेप तथा पूर्व के वर्षों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जुटाये गये तथ्यों

Scanned by CamScanner

के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी के बच्चों तथा मुद्दों पर उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गयी है :–

- लैंगिक भेदभाव
- अपंगता
- शिशु हत्या
- बाल यौन दुर्व्यवहार
- बाल श्रम
- बाल–व्यापार
- स्कूलों में शारीरिक दण्ड
- युद्ध एवं संघर्ष
- जातीय भेदभाव
- महिला भ्रूण हत्या
- घरेलू हिंसा
- बाल–विवाह
- बाल–वेश्यावृत्ति
- बाल–बलि
- प्राकृतिक आपदा
- एचआईवी / एड्स
- परीक्षा का दबाव एवं छात्रों द्वारा आत्महत्या

शिक्षण संस्थानों में कानून का उल्लंघन

आम धारणा है कि बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने हेतु उन्हें शारीरिक और भावनात्मक दंड देना आवश्यक होता है। लगभग सभी स्कूलों में छात्रों को शारीरिक और भावनात्मक दंड दिया जाता है।

शारीरिक दंड

- दीवाल कुर्सी के रूप में बच्चों को खड़ा रखना।
- स्कूल बैग को सिर पर रखना
- दिनभर धूप में खड़ा रखना
- बच्चों को घुटने पर खड़ा रखकर काम करवाना
- बच्चों को बेंच पर खड़ा रखना
- हाथों को ऊपर उठाकर खड़ा रखना
- पेंसिल को मुँह से पकड़वाना और खड़ा रखना
- पैरों के नीचे से हाथों द्वारा कान पकड़वाना
- बच्चों के हाथ बाँधना
- उठक – बैठक करवाना
- कान पकड़कर खड़ा करना
- कान मरोड़ना

Scanned by CamScanner

भावनात्मक दंड

- लड़का व लड़की को एक – दूसरे से थप्पड़ मरवाना।
- गाली – गलौज करना और अपमानित करना।
- स्कूल के चारों ओर चक्कर लगवाना।
- कक्षा के पीछे खड़ा करके गृहकार्य पूर्ण करने को कहना।
- कुछ दिनों के लिए स्कूल आने से रोक देना
- पीठ पर पेपर चिपका कर उसपर लिख देना कि– मैं मूर्ख हूँ, मैं गधा हूँ, इत्यादि।

अन्य प्रकार की सजा

- बच्चों के माता–पिता को स्कूल बुलाना या उनके माता–पिता से स्पष्टीकरण पत्र मँगवाना।
- बच्चों को घर वापस भेजना या फिर उन्हें स्कूल गेट के बाहर खड़ा रखना।
- बच्चों को क्लास रूम में फर्श पर बैठाना।
- बच्चों को प्राचार्य के पास भेजना।
- बच्चों को मौखिक रूप से चेतावनी देना या डायरी व कैलेण्डर में शिकायत पत्र देना।
- बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी देना।
- बच्चों को खेल या अन्य क्रियाकलापों से वंचित रखना।
- उसके परीक्षा में प्राप्तांक को कम करना।
- तीन दिन स्कूल देर से आने पर उपस्थिति रजिस्टर में एक दिन अनुपस्थित मानना।
- बच्चों से जुर्माना लेना।

किस तरह शारीरिक दण्ड बच्चे को नुकसान पहुँचाते हैं?

इस तरह का शारीरिक दण्ड बच्चों के कोमल मन में नकारात्मक मनोविकार पैदा करता है जो बच्चों को चिड़चिड़ा बना देता है। साथ ही उसके मन में आक्रोश और डर की भावना घर कर जाती है। बच्चा अपने आपको बेसहारा और अपमानित समझने लगता है। इस कारण वह अपनी क्षमता और स्वाभिमान खोने लगता है।

Scanned by CamScanner

बच्चे अक्सर बड़ों की नकल करते हैं। बड़ों के हिंसात्मक व्यवहार को देखकर बच्चे भी अपने उलझनों के समाधान के लिए हिंसात्मक व्यवहार अपनाते हैं और गलती को महसूस नहीं करते।

शारीरिक दण्ड बच्चे को अनुशासन में लाने का बहुत ही प्रभावहीन तरीका है, जो शायद ही बच्चे को प्रोत्साहित करता है। यह बच्चे के विकास में अच्छे असर डालने की बजाय बुरे असर ही डालता है। यह अत्यंत खतरनाक भी है।

- अनुशासन सिखाया नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है।
- अनुशासन एक भावना है।
- अनुशासन एक जिम्मेदारी है।
- अनुशासन एक आन्तरिक अनुभूति है, उसे थोपने का प्रयत्न करना एक बाहरी प्रयास है।

बच्चों की मानवीय प्रतिष्ठा के सम्मान के लिए रचनात्मक और अनुशासनात्मक गतिविधियों को अपनाएँ और बढ़ावा दें–

- बच्चों की प्रतिष्ठा का सम्मान करें।
- समाजोन्मुख व्यवहार, स्व–अनुशासन और चरित्र का विकास करें।
- बच्चों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाएँ।
- बच्चों के विकास की जरूरतों और गुणवत्तापूर्ण जीवन का सम्मान करें।
- बच्चों के प्रेरणात्मक चरित्र और जीवन के बारे में विचारों का सम्मान करें।
- उन्हें निष्पक्ष एवं परिवर्तनकारी न्याय का विश्वास दिलाएँ।
- एकता को बढ़ावा दें।

स्कूली वातावरण में बदलाव लाने के सुझाव

- बच्चों के अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में समझें।
- बच्चों को यह महसूस कराएँ कि उनका अपनी कक्षा में प्रतिदिन आना जरूरी है।
- सीखने–सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहें।
- बच्चों के दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक बनें।

Scanned by CamScanner

- बच्चों की कक्षा को रुचिकर एवं सूचनापरक बनाएँ। एकल संचार पद्धति से दूर रहें तथा बच्चों को अपने संदेह और अपनी बात या प्रश्न कहने का पूरा अवसर दें।
- पाठशाला या घर में बच्चों द्वारा सामना किये जा रहे विभिन्न मुद्दे या समस्याओं को सुनें और उसके साथ बातचीत करें।
- बच्चों को ऐसी बातें कहने के लिए प्रोत्साहित करें जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।
- प्रभावी सहभागिता के माध्यम से बच्चों की क्षमता बढ़ाएँ।
- स्कूल अधिकारियों के साथ बच्चों की बैठकें आयोजित करें।
- अभिभावक–शिक्षक संघ की बैठक में माता–पिता के साथ बच्चों के अधिकार संबंधी मुद्दे पर चर्चा करें।
- शारीरिक दंड को नहीं (ना) कहें अर्थात् रोकें। बच्चों में अनुशासन लाने के लिए वार्तालाप और सलाह जैसे सकारात्मक सहायक तकनीक का इस्तेमाल करें।
- भेदभाव को रोकें या उसे नहीं (ना) कहें। अल्पसंख्यक एवं वंचित समूह के बच्चों पर विशेष ध्यान दें।
- अपने घर और कार्यस्थल पर बाल–श्रम को रोकें।
- ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चे स्कूल के साथ समाज में भी सुरक्षित रहें। जरूरत पड़े तो पुलिस को बुलाएँ और कानूनी कारवाई करें।
- बच्चों को बड़ों और समाज के समक्ष अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- किसी कार्यक्रम के आयोजन में बच्चों को शामिल करें। उन्हें कुछ जिम्मेदारी दें और उसी समय उनका मार्गदर्शन भी करें।
- बच्चों को नजदीकी पर्यटन–स्थल और मेले ले जाएँ।
- बच्चों के लिए विचार–विमर्श, वाद–विवाद, ज्ञान–परीक्षण और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करें।
- कक्षा में सृजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से लड़कियों की पढ़ाई–लिखाई और सहभागिता को बढ़ावा दें।

Scanned by CamScanner

- स्कूल छोड़ने वाले या अनियमित रूप से स्कूल आने वाले लड़कियों पर ध्यान रखें ताकि वे इसे दोबारा न दोहराएँ।
- बच्चे में यदि कोई समस्या दिखे तो उसका पता लगाएं और समाधान की पहल करें।

यदि आप बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं तो निम्न व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं –

- पुलिस
- पंचायत एवं नगर निगम के सदस्य
- आंगनबाड़ी सेविका
- नर्स (एएनएम)
- प्रखण्ड, अनुमण्डल और जिला पंचायत सदस्य
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या प्रखण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
- सामुदायिक विकास पदाधिकारी या सामुदायिक विकास एवं पंचायत अधिकारी
- जिलाधीश या जिला कलेक्टर
- नजदीकी बाल कल्याण समिति
- चाईल्ड लाइन (हेल्पलाइन) संगठन

Scanned by CamScanner

संवाद : एक परिचय

'संवाद' ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 के अंतर्गत निबंधित है। इसका निबंधन दिनांक 21 मार्च 2001 को रांची में हुआ है।

संवाद का उद्देश्य

- समतावादी और न्यायमूलक समाज की स्थापना के लिए विभिन्न जनसंगठनों, समूहों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों को संगठित करना तथा इनके बीच समन्वय स्थापित करना।
- समता, लैंगिक समानता, स्वतंत्रता, न्यायमूलक तथा भाईचारा व बहनापा की स्थापना हेतु लोगों को जागरूक करना।
- शोषण, अन्याय, अत्याचार से मुक्त समाज की स्थापना करना तथा देशज सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित करना।
- परंपरागत पद्धति को बिना छेड़े सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय तंत्र को विकसित करना। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, इंजीनियर, बुद्धिजीवी तथा कलाकार की तलाश करना तथा इनके विचारों एवं अनुभवों को जनता के साथ आदान-प्रदान करना।
- सतत् विकास तथा देशज सांस्कृतिक अवधारणा को ग्राम स्तर तक ले जाना।
- महिला, आदिवासी, दलित तथा अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना।
- आदिवासी जीवन पद्धति के सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्द्धन करना। इसके लिए अध्ययन एवं शोध कार्य करना।
- सेकुलर समाज की स्थापना के लिए पहल करना।
- चेतना निर्माण के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण एवं संसाधन केंद्र की स्थापना करना।
- अध्ययन एवं शोध केंद्र, पुस्तकालय, दस्तावेज केंद्र, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य केंद्र की स्थापना करना।
- स्थानीय तथा क्षेत्रीय इतिहास, संस्कृति, लोककला तथा दस्तकारी का दस्तावेजीकरण एवं संरक्षण।
- पूर्ण अलाभकारी तथा सेकुलर संस्थाओं को विकसित करना।

वर्तमान कार्यक्षेत्र

झारखंड एवं बिहार

वर्तमान कार्यक्रम एवं गतिविधियां

- स्वशासन एवं पंचायती राज
- ग्रीन इनर्जी एवं जलवायु परिवर्तन
- बाल अधिकार
- परंपरागत आदिवासी कला एवं संस्कृति पर शोध एवं अध्ययन
- कृषि एवं सतत् आजीविका
- महिला सशक्तिकरण
- अध्ययन, शोध एवं प्रकाशन
- फिल्म एवं संचार सामग्री निर्माण

प्रकाशन वर्ष : 2016, **कला पक्ष** : इंडिजिनोग्राफिक्स, **प्रकाशक** : संवाद, 301/ए, उर्मिला इंक्लेव, पीस रोड, लालपुर, रांची, **प्रकाशन सहयोग** : टॉरेडेस होम्स (टीडीएच), **मुद्रक** : अग्रवाल प्रेस एण्ड प्रोसेस, रांची

Scanned by CamScanner